भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2305
दिनांक 06 अगस्त, 2024 / 15 श्रावण, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

असम में बाढ़ का प्रभाव

†2305. श्री चरनजीत सिंह चन्नीः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विगत पांच वर्षों के दौरान असम में बाढ़ की स्थिति का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार के पास असम में बाढ़ को रोकने अथवा बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए कोई विशिष्ट योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार के पास उक्त अवधि के दौरान बाढ़ से प्रभावित लोगों के संबंध में कोई आंकड़े हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या सरकार ने असम में बाढ़ पीड़ितों को कोई मुआवजा दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) और (ख): आपदा प्रबंधन संबंधी राष्ट्रीय नीति के अनुसार, प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने सहित आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की होती है। प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर राज्य सरकारें भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मदों और मानदंडों के अनुसार उनके पास पहले से मौजूद राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) से राहत उपाय करती हैं। 'गंभीर प्रकृति' की आपदा के मामले में राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता, मौजूदा प्रक्रिया के अनुसरण में प्रदान की जाती है, जिसमें एक अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (आईएमसीटी) के दौरे पर आधारित आकलन शामिल है।

लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2305, दिनांक 6.8.2024

राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (एनआरएससी)/भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने 1998-2023 के उपग्रह डेटा का उपयोग करके असम के लिए राज्य स्तरीय बाढ़ खतरा क्षेत्रीकरण एटलस तैयार किया है। यह विकासात्मक योजना के लिए बाढ़ खतरा प्रबंधन हेतु गैर-संरचनात्मक संसाधनों के रूप में कार्य करता है।

उत्तर-पूर्वी अंतरिक्ष उपयोग केंद्र (एनईएसएसी)/अंतरिक्ष विभाग (डीओएस) ने 1:5000 पैमाने पर असम में ब्रह्मपुत्र नदी के भू-स्थानिक डेटाबेस से युक्त नदी एटलस तैयार किया है, जिसमें नदी और जल निकासी नेटवर्क, तटबंध स्थान, नदी गेज स्थान, सड़क/रेल नेटवर्क आदि शामिल हैं। यह डेटाबेस जल संसाधनों की योजना और प्रबंधन के लिए सहायक है।

अंतरिक्ष विभाग (डीओएस) के एनईएसएसी ने भी 271 आर्द्रभूमियों की पहचान की है, जिनका उपयोग मानसून के मौसम के दौरान ब्रह्मपुत्र नदी सहित अन्य नदियों के अतिरिक्त पानी को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है।

एनईएसएसी ने असम राज्य में ब्रह्मपुत्र बेसिन के लिए संख्यात्मक वर्षा पूर्वानुमान और भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) डोमेन में भौतिकी आधारित वितरित हाइड्रोलॉजिकल मॉडल के आधार पर बाढ़ प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (एफएलईडब्ल्यूएस) भी विकसित की है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एएसडीएमए) को 24 से 36 घंटे के लीड-टाइम के साथ अलर्ट प्रदान किए जाते हैं।

केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) संबंधित राज्य सरकारों को निर्धारित स्थानों पर बाढ़ प्रबंधन के एक गैर-संरचनात्मक उपाय के रूप में बाढ़ संबंधी भविष्यवाणियां जारी करता है। सीडब्ल्यूसी उचित जलाशय विनियमन के लिए चिन्हित जलाशयों में अंतर्वाह पूर्वानुमान भी जारी करता है। सीडब्ल्यूसी, भारत मौसमविज्ञान विभाग (आईएमडी) के मौसम भविष्यवाणी उत्पादों का उपयोग करके बेसिन-विशिष्ट मैथेमेटिकल मॉडलों और रियल टाइम सैटेलाइट वर्षा अनुमानों के माध्यम से बाढ़ भविष्यवाणियों संबंधी 7-दिवसीय एडवाइजरी भी तैयार करता है। ये बाढ़ संबंधी परामर्श वेब पोर्टल https://aff.india-water.gov.in/home.php के माध्यम से हितधारकों तक प्रसारित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, सीडब्ल्यूसी के बराक बेसिन में 67 जलविज्ञान संबंधी पर्यवेक्षण स्थल और ब्रह्मपुत्र बेसिन में 173 जलविज्ञान संबंधी पर्यवेक्षण स्थल हैं।

लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2305, दिनांक 6.8.2024

इसके अलावा, असम सरकार ने सूचित किया है कि जल संसाधन विभाग राष्ट्रीय बाढ़ आयोग (आरबीए) की सिफारिश के अनुसार बाढ़ और नदी तट कटाव प्रबंधन योजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है। यह विभाग राज्य में बाढ़ और कटाव की बारहमासी समस्या के अल्पावधि एवं मध्यावधि समाधान का कार्यान्वयन कर रहा है। असम सरकार के जल संसाधन विभाग ने वर्ष 2023-24 तक राज्य में 16.50 लाख हेक्टेयर बाढ़ प्रभावित भूमि का संरक्षण, 4532 किमी. तटबंधों का निर्माण, कटाव-रोधी एवं नगर संरक्षण संबंधी 1280 कार्य, 122 बड़े जल-द्वारों और 545 छोटे जल-द्वारों का निर्माण किया तथा मौजूदा बांधों की 1047.85 किमी. लंबाई को ऊंचा उठाया और उनका सुदृढ़ीकरण किया है।

(ग): यह मंत्रालय बाढ़ सहित अन्य आपदाओं के कारण होने वाली हताहतों पर कोई केन्द्रीयकृत आंकड़ा नहीं रखता है। तथापि, असम राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, विगत पांच वर्षों अर्थात् वर्ष 2019 से 2023 और 2024 (दिनांक 25.07.2024 तक) के दौरान असम राज्य में विनाशकारी बाढ़ों के परिणामस्वरूप हुई मौतों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	राज्य का नाम	वर्ष						कुल
		2019	2020	2021	2022	2023	2024 (25.07.2024 तक)	
1.	असम	157	190	73	278	65	117	880

(घ): राज्यों को एसडीआरएफ/राज्य आपदा शमन निधि (एसडीएमएफ) का आवंटन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत समय-समय पर गठित क्रमिक वित्त आयोगों की सिफारिशों पर आधारित होता है। वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान असम राज्य को एसडीआरएफ/ एनडीआरएफ और एसडीएमएफ से आवंटित और जारी की गई निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार हैः-

(करोड़ रूपए में)

वर्ष	एसडीआरएफ के अंतर्गत वार्षिक आवंटन	एसडीआरएफ में केंद्र का जारी हिस्सा	एनडीआरएफ से जारी धनराशि	एसडीएमएफ के अंतर्गत आवंटन	एसडीएमएफ में केंद्र का जारी हिस्सा
2019-20	559.00	503.10	0.00	----	----
2020-21	686.40	617.60	44.37	171.60	154.40
2021-22	686.40	617.60	0.00	171.60	154.40
2022-23	720.80	648.80	250.00	180.20	0.00
2023-24	756.80	680.80	0.00	189.20	162.20 #

पिछले वर्ष का बकाया शामिल है।

******